302

सं0 103 / IV(2)-श0वि0–2017–29(NURM)09

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 3 / जनवरी, 2017

विषयः– जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत हरिद्वार में Sewerage System in Zone C योजना हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः भा0स0 243 / IV(2)-श0वि0–11–29(एन0यू0आर0 एम0) / 09, 2013 दिनांक 24.12.2011, संख्याः 463 / IV(2)-श0वि0–11–29(एन0यू0आर0 एम0) / 09, दिनांक 30.03.13 एवं संख्याः 1349 / IV(2)-श0वि0–2013–29(NURM)09, दिनांक 09.10.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से भारत सरकार द्वारा हरिद्वार में स्वीकृत दो सीवरेज परियोजना यथा जोन–D एवं जोन E -1 हरिद्वार तथा जोन–C2 हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश सहित कुल ₹ 1878.07 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2– उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि है कि भारत सरकार JnNURM के अन्तर्गत स्वीकृत उपरोक्त योजनाओं में से **Sewerage System in Zone C** योजना हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश की अन्तिम किस्त ₹73.08 लाख एवं योजनान्तर्गत अवशेष कुल राज्यांश ₹ 30.15 लाख, इस प्रकार **कुल ₹ 103.23 लाख (₹ एक करोड़ तीन लाख तेईस हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) उक्त धनराशि **कुल ₹ 103.23 लाख (₹ एक करोड़ तीन लाख तेईस हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई, गंगा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत उक्त योजना के कार्यो हेतु यह अवश्य सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य मद से धनराशि न दी गयी हो, यदि दी गयी हो तो उस धनराशि को इस अनुमोदित लागत के सापेक्ष व्यय दिखाकर विभागीय बचत से स्वीकृत बजट को शासन को समर्पित कर दी जाय।

(iii) कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

(iv) इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों एवं भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों को पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2017 तक पूर्ण उपयोग कर, उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

.2/–...

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय **वर्ष 2016–17** के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13, लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना–05–नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन–20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे **₹79.49 लाख, अनुदान संख्या–30** लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ– 05–नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता की मद के नामे **₹19.61 लाख** तथा **अनुदान संख्या–31** लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–05–नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे **₹4.13 लाख** डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(2)/2012, दिनांक 28–03–2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी–S.170213 0017, S17023 00018 एव S17023 10019 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या: 103 (1)/IV(2)-श0वि0–2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार (आडिट)/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
6. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार।
7. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
10. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(गजेन्द्र सिंह कफलिया)
अनु सचिव।